छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

क्रमांक /छ.ग.सू.आ./2006 रायपुर, दिनांक /05/2006

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–27 उपधारा–1 के अंतर्गत सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के अधीन निम्नलिखित स्थायी आदेश प्रभावशील किया जाता है :–

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नानुसार प्रस्तुत की जावेगी :–

1. अपील 03 प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
2. यदि अपील में तृतीय पक्ष भी पक्षकार है तो अपीलार्थी के द्वारा 04 प्रतियों में अपील प्रस्तुत की जावेगी।
3. अपील में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होगा :–
   - (i) अपीलार्थी का नाम व पता
   - (ii) प्रतिअपीलार्थी का नाम व पता
   - (iii) जिस आदेश के विरूद्ध अपील हुआ है, आदेश क्रमांक एवं दिनांक
   - (iv) प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु
   - (v) अपील के आधार
   - (vi) अधिनियम के प्रावधान जिसके अंतर्गत की गई अपील हेतु मांगी गई सहायता
   - (vii) कोई अन्य बिन्दु जो अपीलार्थी आवश्यक समझे।
4. अपील आवेदन के साथ आदेश की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न होना आवश्यक है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।
5. जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई है।
6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो उसका उल्लेख अपील में किया जावेगा।

7. सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन एवं दिये गये शुल्क की प्रति सूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई जानकारी दी गई हो तो उसकी सत्यापित प्रति या अधूरी जानकारी दी गई हो तो उस अधूरी जानकारी का आधार।

8. अपील आवेदन के साथ शासन के द्वारा निर्धारित अपील शुल्क 100/– रूपए नकद जमा करने की रसीद अथवा चालान/नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रुप में जमा करना होगा।

9. यदि अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं हुई हो तो विलम्ब का कारण एवं आधार।

10. अपील में प्रस्तुत अभिलेखों में कोई कमी हो तो कार्यालय द्वारा आवेदक को सूचित किया जावेगा तथा 15 दिनों के अंदर अभिलेखों की पूर्ति करने के लिए कहा जावेगा। यदि अभिलेखों की पूर्ति समय पर नहीं होती है, तो आवेदक को सूचना देकर अपील पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
रायपुर

पृ. क्रमांक 1899 /छ.ग.सू.आ./2006 रायपुर, दिनांक 31/05/2006

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार), मंत्रालय, रायपुर।
2. उप सचिव/अवर सचिव/लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर।
3. कार्यालय प्रमुख एवं जनसंपर्क अधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर।
4. आवक जावक शाखा/सूचना बोर्ड में चस्पा हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
रायपुर